

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक-एफ.1(37)परि./स्था./2008

23781

जयपुर, दिनांक 12/9/19

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत दिनांक 05.09.2019 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक में की गई सिफारिश पर निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनके सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

	<u>जन्म तिथि</u>	<u>पदोन्नति वर्ष</u>
1. श्रीमती रजनी केवल्या	23.10.1976	2011-2012
2. श्री श्योदान राम सैनी (से.नि.)	05.07.1958	2012-2013
3. श्रीमती सीमा तंवर, अजा	16.03.1968	2012-2013
4. श्री हजारी लाल बैरवा, अजा	02.01.1965	2012-2013
5. श्रीमती सविता व्यास	16.10.1980	2012-2013
5. श्री रामकिशन मीणा, अजजा (से.नि.)	01.06.1958	2013-2014
6. श्री भानूप्रताप सिंह	19.04.1987	2013-2014


श्रीमती रजनी केवल्या का नाम वर्ष 2011-12 की चयन सूची में क्र.सं. 7 श्री किशनलाल वर्मा के नीचे स्थापित किया जाता है।

श्री श्योदान राम सैनी का नाम वर्ष 2012-13 की चयन सूची में क्र.सं. 9 श्री अशोक कुमार शर्मा के नीचे व क्र.सं. 10 श्री हेमन्त इन्दोरिया के ऊपर, श्रीमती सीमा तंवर का नाम चयन सूची में श्री श्योदान राम सैनी के नीचे, श्री हजारी लाल बैरवा का नाम चयन सूची में श्रीमती सीमा तंवर के नीचे, श्रीमती सविता व्यास का नाम क्र.सं. 16 श्री दिनेश चन्द्र जोशी के नीचे व क्र.सं. 17 श्री मुकेश कुमार मीणा के ऊपर स्थापित किया जाता है।

श्री रामकिशन मीणा का नाम वर्ष 2013-14 की चयन सूची में श्री भानूप्रताप सिंह के नीचे व श्री भानूप्रताप सिंह का नाम चयन सूची में क्र.सं. 17 श्री राजेश मीणा के नीचे स्थापित किया जाता है।

उक्त पदोन्नत वरिष्ठ सहायकों को पदोन्नति पर काल्पनिक लाभ उनके सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से तथा नकद लाभ वास्तविक रूप से कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

उक्त पदोन्नतियां मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी. संख्या 29601/2018 में पारित निर्णय के अधधीन रहेंगी।


(महेन्द्र कुमार खींची)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा)
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
2. अति. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर ।
3. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी -----
4. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. लेखा शाखा (भुगतान) / संस्थापन शाखा / एसीआर शाखा
6. सम्बन्धित कार्मिक -----
7. निजी पत्रावली
8. रक्षित पत्रावली

(अमृता चौधरी)
उप परिवहन आयुक्त (प्रशा)

2011-2012	23.10.1978	राजस्थान परिवहन विभाग
2012-2013	02.07.1988	(अति. निजी सचिव) राजस्थान
2013-2014	18.03.1988	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
2014-2015	05.01.1982	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
2015-2016	18.10.1980	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
2016-2017	07.08.1978	(अति. निजी सचिव) राजस्थान
2017-2018	19.04.1987	अति. निजी सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर ।

2. अति. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर ।

3. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी -----

4. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु

5. लेखा शाखा (भुगतान) / संस्थापन शाखा / एसीआर शाखा

6. सम्बन्धित कार्मिक -----

7. निजी पत्रावली

8. रक्षित पत्रावली

(अमृता चौधरी)
उप परिवहन आयुक्त (प्रशा)